न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

रेफरेन्स / 10 / 2010

रामलाल पुत्र श्री कन्हैया जाति अहीर निवासी नगला मांझी तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर

.....प्रार्थी .....मृतक

1 / 1–सरवती उम्र 76 साल पत्नी स्व0 रामलाल
1 / 2–बृजेन्द्रसहि उम्र 46 साल पुत्र स्व0 रामलाल } जाति अहीर निवासीयान नगला
1 / 3–रामकिशन उम्र 39 साल पुत्र स्व0 रामलाल } मांझी तहसील कुम्हेर जिला
1 / 4–सतीश उम्र 36 साल पुत्र स्व0 रामलाल भरतपुर
1 / 5–रजनी उम्र 43 साल पुत्री स्व0 रामलाल पत्नी होतीलाल जाति अहीर निवासी धोली प्याउ पुरानी चुंगी के सामने मथुरा जिला मथुरा .....प्रार्थीयान

बनाम

1–नंदराम पुत्र श्री रामसिंह } जाति अहीर निवासीयान नगला मांझी तहसील कुम्हेर
2–उदयराम पुत्र श्री रामसिंह }
3–तरूण यादव } पिसरान श्री रूपमकिशोर जाति अहीर निवासीयान नगला
4–अरूण यादव } मांझी तहसील कुम्हेर
5–राधा पत्नि रूपकिशोर } जाति अहीर निवासीयान नगला मांझी तहसील कुम्हेर
6–भोलाराम पुत्र श्री कन्हैया }
7– किशनसहाय पुत्र श्री कन्हैया .....असल गैरप्रार्थीयान
8– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुम्हेर .....तरतीवी गैरप्रार्थी

प्रार्थनापत्र रेफरेन्स अन्तर्गत भू–राजस्व अधिनियम धारा 82 एल.आर. एक्ट

उपस्थित :–

1–श्री हनुमान प्रसाद गोयल अभिभाषक प्रार्थी
2–श्री नीरपाल अभिभाषक अप्रार्थी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रेफरेन्स संख्या 10/12
रामलाल बनाम नंदराम

निर्णय

दिनांक 13.06.2019

प्रार्थी ने यह रेफरेन्स इस आश्य का पेश किया जो संक्षेप इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बरान 7,8,29,61,73,93,94,98,113,202 हाल खसरा नं0 284,329,369/506,203,253,202,190,248,428,427 बांके ग्राम नगला मांझी में स्थित है। यह है कि रामसिंह ने अपने भाई कन्हैया,चाचा बडडन व प्रार्थी के विरूद्व एक दावा न्यायालय सहायक कलक्टर,भरतपुर में उक्त आराजीयात व आराजी खसरा नं0 साविक 214 रकवा 10 बीघा 2 बिस्वा बावत दायर किया। जिसमें कन्हैया पुत्र श्री गोकुल के नाम हो रही 1/4 भाग की खातेदारी चाही गई थी। तथा शेष 1/4 भाग खुद कास्त बदस्तूर माना था। 1/4 भाग बडडन का माना था। तथा 1/4 भाग प्रार्थी का माना था। परन्तु लायक अदालत तहत ने बिना किसी साक्ष्य व राजीनाम के समस्त आराजी पर दावा रामसिंह दिनांक 09.09.65 को डिक्री कर दिया। बडडन के हिस्से का कोई ध्यान नहीं रखा। परन्तु डिग्री बनी कन्हैया के हिस्से सहित रामसिंह के हिस्से में 1/2 हिस्से की बनी। रामसिंह ने कर्मचारियों से साजिश कर मिलीभगत से जमाबन्दी सम्वत 2021 लगायत 2024 के खाना नं0 24 में अपने हक में खातेदारी दर्ज करा ली। जो जमाबन्दी 2025 लगायत 2028 बनी उसमें गलत कौर इन्द्राज खातेदारी रामसिंह के नाम वाहिद रिपीट कर दिये। रामसिंह ने अपने पुत्र गैर प्रार्थी संख्या 1 से एक दावा 88,89, व 188 एक्ट का खसरा नं0 7,8,61,73,93,98,113,202 वाके ग्राम नगला मांझी में खातेदारी अपने विरूद्व दायर करवाया। जो दिनांक 2.9.73 को खारिज हो गया। संबधित आराजी कोई दावा डिग्री न होने व इजराय के बिना एस.डी.एम भरतपुर के कर्मचारियों से साजिश कर नायब तहसीलदार कुम्हेर के नाम एक कैफियत क्रमांक नं0 215 दिनांक 11.5.1975 को राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के लिए जारी कराई। ग्राम पंचायत डहरा के पंच अमरसिंह ने फोर कर के सरपंच की हैसियत से दाखिल खारिज संख्या 96 दिनांक 27.9.1975 को गैर प्रार्थी संख्या 1 के नाम मंजूर कर दिया। हाल आराजी खसरा नं0 284 खसरा नं0 369/506 खसरा नं0 203 खसरा नं0 253 गैरसायलान की खातेदारी में है। खसरा नं 202 प्रार्थी के नाम है। खसरा नं0 190 गैर प्रार्थी रूपकिशोर से आया है। खसरा नं0 248,427 उदयराम की खातेदारी में है। खसरा नं0 428 भूलेराम की खातेदारी में है। रेफरेन्स को स्वीकार कर राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवाया जावे।

रेफरेन्स दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। उभयपक्ष अभिभाषक उपस्थित । उभयपक्ष योग्य अभिभाषक की बहस सुनी गई।

प्रार्थी अभिभाषक ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि गत आराजी नम्बरान 7, 8, 29, 61, 73, 93, 94, 98, 113, 202 हाल खसरा नं0 284, 329, 369/506, 203, 253, 202,190,248,428,427 बांके ग्राम नगला मांझी में स्थित है। यह आराजी कन्हैया पुत्र गोकुल के नाम दर्ज हो गई है। जिसमें 1/4 मेरी तथा 1/4 कन्हैया की आराजी थी। एवं रामसिंह के नाम गलत तरीके आराजी कर दी। रामसिंह को ए प्लस एस लूट खातेदार घोषित कर दिया। दो दाबा नंदराम व रामनारायण कराये। जो कि अदम पैरवी मे खारिज हो गये। कोई डिग्री पेश नहीं हुई। संबधित आराजी कोई दावा डिग्री न होने व इजराय के बिना एस.डी.एम भरतपुर के कर्मचारियों से साजिश कर नायब तहसीलदार कुम्हेर के नाम एक कैफियत क्रमांक नं0 215 दिनांक 11.5.1975 को राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के लिए जारी कराई। ग्राम पंचायत डहरा के पंच अमरसिंह ने फोर कर के सरपंच की हैसियत से दाखिल खारिज संख्या 96 दिनांक 27.9.1975 को गैर प्रार्थी संख्या 1 के नाम मंजूर कर दिया। आराजी को अपने नाम कराये ग्राम पंचायत में 96–97 में स्वीकृत किया। प्रार्थी अभिभाषक ने जाहिर किया है कि लैण्ड रेवन्यु आरआरडी 14,346, 2010,1331,2013 एक्ट के तहत रेफरेन्स स्वीकार किया जावे।

अप्रार्थी अभिभाषक ने बहस में जाहिर किया है कि न्यायालय हाजा धारा 82 एल. आर.एक्ट में रेफरेन्स पेश किया है। प्रार्थियान को कोई भी हित आराजी साविक व हाल में न होने प्रार्थनापत्र रेफरेन्स पेश करने का कोई अधिकार नहीं हैं । जमाबन्दी सम्वत 2021 लगाय 2024 अप्रार्थी उत्तरदाता गण हाल नम्बरान 7,8,29,61,73,93,94,98,113,202 हाल खसरा नं0 284, 329, 369/506, 203,253,202,190,248,428,427 बांके ग्राम नगला मांझी में स्थित है तथा खातेदार काश्तकार दर्ज है। प्रार्थीयान का कोई व्यक्तिगत हित आराजी में नियत नहीं है। इस प्रकार रेफरेन्स का प्रार्थना पत्र अधिक समय 40–45 वर्ष बाद प्रस्ततु किया है। रेफरेन्स मियाद बाहर है। दिनांक 9.9.65 के आदेश की सहमति से डिग्री बनी है। प्रार्थीयान को रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। रेफरेन्स सरकार प्रस्तुत कर सकती है। रेफरेन्स खारिज किया जाने की अपील की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया उभय पक्षकारान अभिभाषक के तर्कों पर गौर किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी प्रस्तुत रेफरेन्स दर्ज आदेश प्रार्थी द्वारा लगभग 40–45 साल बाद पेश किया गया है। प्रार्थी द्वारा देरी से पेश करने का कोई कारण अंकित नहीं किया गया। है। इतनी लम्बी अवधि के बाद प्रार्थी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स के द्वारा किसी की खातेदारी को निरस्त नहीं किया जा सकता। दौराने बहस यह भी बताया गया कि विवादित आराजी को लेकर पक्षकारान के मध्य सक्षम राजस्व न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। अतः प्रार्थना पत्र रेफरेन्स काबिल खारिज के रहता है।

रेफरेन्स संख्या 10/12
रामलाल बनाम नंदराम

अतः आदेश है कि :–

प्रार्थना पत्र रेफरेन्स अस्वीकार किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 13.6.2019 को सुनाया गया।

(डॉ. आरूषि मलिक)
जिला कलक्टर
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official